भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 5120

उत्तर देने की तारीख: 24.03.2026

एन.सी.एस.सी. में रिक्तियां

5120. श्री मनोज कुमार:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोगों जैसे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एन.सी.एस.सी.), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एन.सी.बी.सी.) में कई पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एन.सी.एस.सी. में एक उपाध्यक्ष और एक सदस्य सहित दो रिक्तियां हैं और इसी प्रकार एन.सी.बी.सी. में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों सहित चार रिक्तियां हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि उक्त महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर नियुक्ति न होने के कारण उक्त आयोग समाज के कमजोर वर्गों की प्रभावी ढंग से रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं और इनका कामकाज प्रभावित हो रहा है;

(घ) क्या सरकार ने एन.सी.एस.सी., एन.सी.एस.टी., एन.सी.बी.सी. और अन्य आयोगों में उक्त रिक्तियों को भरने के लिए कोई प्रक्रिया शुरू की है और यदि हां, तो इस प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वह समय-सीमा क्या है जिसके भीतर सरकार का उक्त रिक्तियों को भरने का प्रस्ताव है और क्या उक्त आयोगों के उचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए कोई अंतरिम व्यवस्था की गई है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) अपने संवैधानिक अधिदेश के अनुसार प्रभावी ढंग से कार्य करें। इन आयोगों में कार्यकाल पूरा होने, त्यागपत्र देने अथवा अन्य प्रशासनिक कारणों से समय-समय पर रिक्तियां उत्पन्न होती रहती हैं। इन पदों को भरना एक सतत् प्रक्रिया है और भारत के संवैधानिक अधिदेश, संगत नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की सिफारिशों के आधार पर माननीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं।

(ख): सरकार ने हाल ही में एनसीएससी के साथ-साथ एनसीबीसी में कुछ रिक्त पदों को भरा है। परिणामस्वरूप, वर्तमान में एनसीएससी में उपाध्यक्ष का केवल 01 पद रिक्त है, जबकि एनसीबीसी में उपाध्यक्ष का 01 पद और सदस्यों के 02 पद रिक्त हैं।

(ग): सरकार समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण और संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इन आयोगों का कामकाज संविधान के प्रावधानों और संगत नियमों के अनुसार किया जाता है। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि रिक्तियों के कारण इन आयोगों के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा आयोग उपलब्ध सदस्यों और प्रशासनिक सहायता के साथ अपने अनिवार्य कार्यों का निर्वहन करना जारी रखें।

(घ) और (ङ): इन आयोगों में रिक्तियों को भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है। सरकार ने हाल ही में कुछ रिक्त पदों को भरा है। संविधान और स्थापित प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की सिफारिशों पर भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं। इन पदों को भरने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
